

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित:-

श्री अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी :-

सर्वश्री इण्डिया डिस्ट्रीब्यूटर्स, बी-1/28 हुमरौव बाग कालोनी, अस्सी, वाराणसी।

प्रा0प0सं0-

361/2008

प्रार्थी की ओर से- श्री एम0एम0पारिख, अधिवक्ता।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- प्रार्थी द्वारा दिनांक 05-09-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें फिनायल तथा प्लोर क्लीनर की बिक्री पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर शेड-1 वाणिज्य कर, वाराणसी जोन, वाराणसी द्वारा अपने पत्रांक 2496 दिनांक 07-10-08 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि फिनायल INSECTICIDE / PESTICIDE एक विशिष्ट व्यापारिक वस्तु होने के कारण और वैट अधिनियम के अन्तर्गत जारी अनुसूची-2 में न होने के कारण इस पर अनुसूची-5 से आच्छादित होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य मानना उचित है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री एम0एम0पारिख, अधिवक्ता उपस्थित हुये व उनके द्वारा बताया गया कि फिनायल की बिक्री पर उनके द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से अवर्गीकृत वस्तु की भांति कर जमा किया जा रहा है तथा नक्शों में स्वीकृत कर 4 प्रतिशत की दर से जमा किया जा रहा है। चूंकि फिनायल INSECTICIDE / PESTICIDE होने के कारण उसकी बिक्री पर कर की दर 4 प्रतिशत होनी चाहिए।

4- मैंने व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं प्राप्त विभागीय आख्या तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का परीक्षण किया। फिनायल वैट अधिनियम की अनुसूची 1 से 4 तक में विज्ञापित वस्तुओं में सम्मिलित नहीं है। फिनायल वैट अधिनियम की अनुसूची -2 भाग-ग के क्रमांक -147 के अन्तर्गत INSECTICIDE / PESTICIDE भी नहीं है तथा प्लोर क्लीनर भी अनुसूची 1,2,3,4 के अन्तर्गत नहीं आता है। तदनुसार दोनों वस्तुयें शिडयूल-5 से आच्छादित होने के कारण यह 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

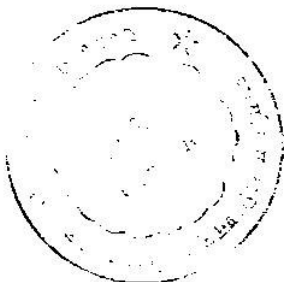
दिनांक :: 05 दिसम्बर, 2008

ह0/ 05-12-08

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



वै. नं. 361-1
प्रमाणित लिपि
वाणिज्य कर, लखनऊ